२ सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

प्रकरण संख्या देव 98/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/8/25	पत्रा पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने आपसी सहमती से पुनः बहस हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 25/08/25 को पेश हो। तब तक स्थगन यथावत रहेगा। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	
25/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/9/25 को पेश हों।	
	13/09/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० । प्रकरण में बहस T.I. सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29/09/2025 को पेश हो।	
	29/09/2025 पत्रावली वास्ते T.I. आदेश आज पेश हुई। वकलाय उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। परवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपना प्रार्थना-पत्र के समर्थन में निवेदन किया कि विवादित आराजी पैतृक भूमि हो पूर्व खातेदार	सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

प्रक 1/ प्रकरण 36/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय	नम्बर व तारीख अहलकार के हुक्म की तामील में जारी हुआ
	बिड़दा के नाम सं. 2011-20 की जमाबन्दी में दर्ज है। सजरा खानदान जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया है वो सही है। बिड़दा के चार पुत्र मोटा, सुरजा, तुलछा व माला हुए। जिनमें से बिड़दा के जीवनकाल में ही पुत्र तुलछा अल्प-आयु में फौत हो गया। जो प्रार्थीगण का दादा/दादेर ससुर था। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं० 1 ता 5 की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पूर्वज बिड़दा काबिज काश्त खातेदार था और बिड़दा के फौत होने पर बिड़दा के चारों पुत्र काबिज काश्त खातेदार रहे और चारों पुत्र फौत होने के बाद सजरा खानदान अनुसार उनके वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पूर्वज तुलछा अल्पआयु में फौत होने पर उसकी बेवा जीवणी देवी, पुत्र नारायण को बरजी के हवाले छोड़कर दूसरी जगह नाता कर लिया। उक्त नारायण के बालिग होने पर उसकी शादी उक्त बरजी जो रिश्ते में उक्त नारायण की बड़ी माँ थी, ने करवी जिनकी बेवा व पुत्र प्रार्थीगण है। इस प्रकार प्रार्थीगण के	

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

(हस्ताक्षर) 29/9/20..

(उषा कुमारी R.A.S.) सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

५५ /15 ५५ ७८/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्वज तुलछा की अल्प आयु में मृत्यु हो जाने पर अप्रार्थीगण के पूर्वज मोटा ने साज कर विवादित आराजी की खातेदारी मोटा व सुरजा के नाम करवा ली एवं प्रार्थीगण के पूर्वज तुलछा का नाम इन्द्राज नहीं करवाया। जबकि विवादित आराजी के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 संयुक्त रूप से हक अधिकारी है, जिसमे प्रार्थीगण 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदारी के हक अधिकारी है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त मोटा परिवार ने रेकार्ड में गलत अंकन के आधार पर विवादित भूमि में से कुछ भूमि का बेचान कर दिया, हमारे द्वारा ऐतराज करने पर हमे 60,000 रुपये देकर संतुष्ट किया जिसकी स्टाम्प पर लिखावट की गई जिसकी मूल प्रति प्रतिवादी के कब्जे में है। इस प्रकार प्रार्थीगण भिडदा के वंशज है जो अप्रार्थीगण के जवाब दावे से admitted Point है। खातेदार भिडदा की मृत्यु पर भरा गया नामा० सं० 23/27.3.1960 प्रार्थीगण के संदर्भ मे शुरु से ही प्रभावहीन एवं शून्य है। विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है, भिडदा के वंशज है। अत: प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा यदि दावे के निस्तारण के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का बेचान, खुर्द-बुर्द आदि करने पर अपूरणीय	

29/11/2024

मुनेश कुमारी R.A.S.
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

प्रकरण सं. ६५ ३८/१५

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	क्षति भी प्रार्थीगण को होगी अतः अप्रार्थीगण को दावे के निस्तारण तक विवादित आराजी के मौके एवं रेकार्ड की यथा-स्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। वकील प्रार्थीगण की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने बरवक्त बहस तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में विवादित कृषि भूमियां पैतृक नहीं है एवं उनमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा होना कतई गलत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान सही है। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 2 के पिता, प्रतिवादिनी सं. 3 के ससुर, अप्रार्थी सं. 4 ता 5 के दादा मोटा, अप्रार्थी सं. 2 हेमा की दत्तक माता एवं दत्तक पिता सुरजा के खुद के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। मोटा व सुरजा काफी समय पूर्व से अलग होकर उक्त कृषि भूमियों को अलग से काश्त करते चले आ रहे थे इसी वजह से एवं खुद काबिज काश्तकार होने से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त मोटा व सुरजा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। पुराने ख० नं० 231 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा जिसके नये ख० नं० 456 रकबा 3.01 है० वाके ग्राम गुणाठू प्रार्थीगण के	

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

29/9/2021

(मुकेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	तुलछा के नाम से राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो गयी जो अब अप्रार्थीगण के नाम से है तथा डेढ़ बीघा गुवाड़ी की भूमि पर प्रार्थीगण ने नाजायज कब्जा कर रखा है। प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के समक्ष clean hands से नही आये है। उक्त मोटा व सुरजा के नाम से नामान्तरकरण सं. 23 दिनांकित 27-03-1960 बिल्कुल विधिवत रूप से सही भरा गया है जिसके चलते अप्रार्थीगण पिछले 60-70 वर्षों से निर्बाध रूप से विवादित आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, जिसमे हस्तक्षेप करने का प्रार्थीगण को कोई कानूनी हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित 60,000 रूपये की लिखावट फर्जी है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र T.I. सव्यय खारिज फरमाया जावे।
	पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वुकलाय उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया।
(हस्ताक्षर) 29/9/2017 (मुकेश कुमारी R.A.S.) सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	चूंकि विवादित आराजी प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार पूर्व खातेदार बिड़दा पुत्र चुगा की खातेदारी भूमि

सहायक कलक्टर सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
प्र. 45 दि. 28/14

रही है जिसकी स्वीकारोक्ति वकुलाय उभय
द्वारा अपने - अपने कथनों में की गई
भूमि बाबत प्रार्थीगण का कथन है कि विवा
में प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा - काश्त है
अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 का कथन है कि
कृषि भूमि उनके पूर्वज मोटा व सुरजा
काबिज काश्तकार होने वश धारा - 19 रा
काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत जरि
सं० 23 दिनांकित 27.03.1960 खातेदारी अ
प्राप्त हुए है। वकुलाय उभय पक्ष द्वारा प्र
द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान को सही म

उक्त तथ्यों के आलोक में न्याया
के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है
नामा० सं० 23 दिनांकित 27-03-1960 जो
काश्तकार होने के नाते भरा गया सर्व
नामान्तरकरण विरासत के आधार पर भरा जाना था क्या
काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू हो चुका था
साक्ष्य का विषय है। विवादित पक्षकारान
अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में
के आधार पर किया जाना है। अत: उक
तथ्यों के आलोक में उभय पक्षकारान को
फैसल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द
जाता है कि आप विवादग्रस्त कृषि भूमि
2, 262, 263, 273 रकबा 7.08 हे० के वर्तमा

29/9/15
(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

३८ V/s देवू ७८/14

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
	रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील हमफीता मूल पादफ्ज हो। यह निर्णय आज दिनांक 29/9/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 29/09/2021 (मुनेश कुमारी) RAS सहायक कलक्टर द्वितीय (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर